

परियोजना का नाम:—राज्य योजना के अन्तर्गत गौचरा सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.23 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007 -एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:—

- 1- इको-क्लास की श्रेणी..... V
- 2- हरियाली का धनत्व..... 0.2
- 3-एन०पी०वी० की दर6,57,000.00
- 4-आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....2.23
- 5-कुल देय एन०पी०वी०.....रु० 14,65,110.00

(नीतु लक्ष्मी एम०)

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।